

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 05/2014 प्रार्थना पत्र

1. राजस्थान सरकार जरिये बनाम 1. नानू पुत्र गिरधारी गुर्जर मृतक के बजाय का0मु0 तहसीलदार हमीरगढ 1. नारायण, सुरतराम पिता नानू, राधा पुत्री नानू, रूकमा बेवा नानू गुर्जर निवासी फागणों का खेडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में विपक्षी का आपत्ति प्रार्थना पत्र

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री अमित कोठारी अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.07.2019

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी को उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा 06.11.1977 को आराजी सं. 4176/3722 रकबा 4.02 बीघा एवं आराजी सं. 3722/3 रकबा 03 बिस्वा किता 2 रकबा 4.05 बीघा भूमि आवंटित की गयी। उक्त भूमि अंतर्गत दिनांक 19.06.1989 को खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये। उक्त भूमि के अन्तर्गत श्रीमान जिला कलक्टर भीलवाडा ही लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर हैं तथा उनके निचले अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा द्वारा ही विपक्षी को विवादित भूमि आवंटित की गयी। इस प्रकार धारा 82 के तहत श्रीमान जिला कलक्टर भीलवाडा लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर होने से उक्त रेफरेन्स की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं। इस आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही पोषणीय न हो काबिल निरस्तगी के है। प्रार्थी द्वारा लगभग 20 वर्ष के अधिक समय पश्चात् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना मियाद बाहर है। प्रार्थी द्वारा इस दौरान कोई आपत्ति न करना ही यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थी को विवादित भूमि का अलोटमेण्ट विधिवत एवं सही हुआ हैं तथा उसके पश्चात् ही अप्रार्थी को विवादित भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये है। इस आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से पोषणीय नहीं होकर निरस्त योग्य हैं। निवेदन हैं कि अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विपक्षी के आपत्ति प्रार्थना पत्र की प्रति राजकीय अधिवक्ता को दिलायी गयी।

आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि धारा 82 के तहत श्रीमान जिला कलक्टर भीलवाडा लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर होने से उक्त रेफरेन्स की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं। इस आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही पोषणीय न हो काबिल निरस्तगी के है। प्रार्थी द्वारा लगभग 20 वर्ष के अधिक समय पश्चात् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना मियाद बाहर है। प्रार्थी द्वारा इस दौरान कोई आपत्ति न करना ही यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थी को विवादित भूमि का अलोटमेण्ट विधिवत एवं सही हुआ हैं तथा उसके पश्चात् ही अप्रार्थी को विवादित भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये है। इस आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से पोषणीय नहीं होकर निरस्त योग्य हैं। निवेदन हैं कि अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। विपक्षी अधिवक्ता आपत्ति

प्रार्थना पत्र के समर्थन में विधिक दृष्टान्त क्रमशः आरआरडी 1972 पेज सं. 273, 274 एवं आरआरडी 1974 पेज सं. 359 से लगायत 361 तथा आरआरडी 1982 पेज सं. 298,299 प्रस्तुत किये हैं।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम फागणों का खेडा तहसील हमीरगढ के आराजी नं. 4176/3722 रकबा 4.02 बीघा एवं आराजी सं. 3722/3 रकबा 03 बिस्वा किता 2 रकबा 4.05 बीघा भूमि दिनांक 06.11.1977 से पूर्व दिनांक 07.07.1971 को नानू आत्मज गिरधारी गुर्जर के नाम पर साबिक आराजी नं. 2044, 2046/4 में 5.00 बीघा भूमि आवंटन की गयी। उक्त आवंटित भूमि दिनांक 19.06.1989 को खातेदारी में दर्ज की गयी। सचिव जिला जन अभियोग एवं सर्तकता समिति कलक्टर कार्यालय भीलवाडा ने बैठक दिनांक 08.11.2012 के निर्देशानुसार नानू पुत्र गिरधारी गुर्जर ने राजकीय सेवा में रहते हुये भी निःशुल्क कृषि भूमि का आवंटन करवाया। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। आवंटित भूमि मे खातेदारी अधिकार दिये जाने के पश्चात् यदि आवंटन की गयी भूमि विधि विरुद्ध होने से एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे पक्षकारान् सुनवाई कर माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर को प्रतिवेदन प्रेषित करने का प्रावधान हैं। अतः विपक्षी का आपत्ति प्रार्थना पत्र निरस्त करा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पर प्रतिवेदन माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित कराया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं विधिक दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि ग्राम फागणों का खेडा तहसील हमीरगढ के आराजी नं. आराजी सं. 4176/3722 रकबा 4.02 बीघा एवं आराजी सं. 3722/3 रकबा 03 बिस्वा किता 2 रकबा 4.05 बीघा भूमि नानू पुत्र गिरधारी गुर्जर के नाम पर दिनांक 06.11.1977 को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया। उक्त आवंटित भूमि दिनांक 19.06.1989 को खातेदारी में दर्ज की गयी। सचिव जिला जन अभियोग एवं सर्तकता समिति कलक्टर कार्यालय भीलवाडा ने बैठक दिनांक 08.11.2012 के निर्देशानुसार नानू पुत्र गिरधारी गुर्जर ने राजकीय सेवा में रहते हुये भी निःशुल्क कृषि भूमि का आवंटन करवाया। उक्त आवंटित भूमि को निरस्त कराने हेतु तहसीलदार हमीरगढ ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि आवंटित भूमि में खातेदारी अधिकार दिये जाने के पश्चात् यदि आवंटन की गयी भूमि विधि विरुद्ध होने से एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे पक्षकारान् सुनवाई कर माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर को प्रतिवेदन प्रेषित करने का प्रावधान हैं। अतः विपक्षी का आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2019 स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव—

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के प्रार्थना पत्र में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। रेफरेन्स प्रकरण बहस हेतु दिनांक 05.08.2019 को पेश हो।



(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)